न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, लक्ष्मणगढ जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी : गोपाल सैनी,(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

सुपूर्दगी प्रार्थना पत्र संख्या : 65/2026
सीआईएस नंबर : 03/2026

1. ताराचन्द पुत्र लहरू सिंह निवासी भटावली थाना कुम्हेर जिला डीग (राज.)

प्रार्थी/सुपूर्ददार

<u>विरूद्ध</u>

1. राजस्थान सरकार जरिए अपर लोक अभियोजक लक्ष्मणगढ जिला अलवर

गैरनिगरानीकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 497, 503 बीएनएसएस

उपस्थिति –
श्री अरूण कुमार जैन, अधिवक्ता, प्रार्थी/सुपर्ददार की ओर से
श्री अपर लोक अभियोजक,सरकार की ओर से

आदेश **दिनांक 17.03.2026**

1. सुपूर्दगी प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि सरकार बाम पुष्पेन्द्र वगैरा उनवानी मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त मुकदमे में मुकामी पुलिस थाना लक्ष्मणगढ ने मेरे वाहन बोलेरो नियो रजि. नं. आरजे 05 यूबी 0328 को जप्त किया था। उस समय वाहन का असल रजिस्ट्रेशन को जप्त किया था, जिसका प्रार्थी उक्त वाहन का रजि. मालिक है। उक्त जप्तशुदा असल दस्तावेजों की मुझ सुपूर्ददार को शख्त आवश्यकता है तथा वाहन पर उक्त असल दस्तावेजों की हर समय आवश्यकता रहती है। उक्त असल दस्तावेज मुझ सुपूर्ददार को सुपूर्दगी पर मिलने पर वह उसे कहीं भी रहन, बय, खुर्द–बुर्द नहीं करेगा, अदालत श्रीमान के तलब करने पर हाजिर कर देगा, जिस बाबत दीगर मोतबिर व्यक्ति की जमानत पेश करने को तैयार है। अतः निवेदन है कि उक्त मुकदमे में मुझ सुपूर्ददार के वाहन रजि.नं. आरजे 05 यूबी 0328 असल रजि0 को सुपूर्दगी पर दिये जाने की कृपा करें।

2. बहस उभय पक्षकारान सुनी गयी एवं पत्रावली का अवलोकन किया

गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 413/2022 थाना लक्ष्मणगढ़ में दौराने अनुसंधान वाहन बोलेरो नंबर आरजे 05 यूबी 0328 तथा उक्त वाहन के असल आर.सी. को प्रकरण में बतौर वजह सबूत जप्त किया गया था। उक्त जप्तशुदा वाहन को पूर्व में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुपूर्ददार को सुपूर्दगी पर दिया जा चुका है तथा उक्त जप्तशुदा आर.सी. की प्रार्थी/सुपूर्ददार को आवश्यकता होना जाहिर किया है, जिसके संबंध में प्रार्थी/सुपूर्ददार की ओर से उक्त जप्तशुदा असल आर.सी. की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की गयी है, जो कि प्रार्थी/सुपूर्ददार के नाम से जारी की गयी है। अतः प्रार्थी/सुपूर्ददार को उक्त जप्तशुदा मूल आर.सी. आरजे 05 यूबी 0328 को सुपूर्ददगी पर दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

3. अतः प्रार्थी/सुपूर्ददार की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 497, 503 बीएनएसएस स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी/सुपूर्ददार की ओर से 20 हजार रूपए का स्वयं का सुपूर्दनामा व इसी राशि का जमानतनामा न्यायालय में इस आशय का पेश कर तस्दीक करावे कि वह दौराने विचारण उक्त आर.सी. को रहन, बय, मुन्तकिल, खुर्द–बुर्द नहीं करेगा तथा न्यायालय द्वारा तलब करने पर अपने खर्चे पर पेश कर देगा तो प्रार्थी/सुपूर्ददार को उक्त मूल आर.सी. प्रकरण के अंतिम निस्तारण तक अन्तरिम सुपूर्दगी पर दिया जाता है।

(गोपाल सैनी)

4. आदेश आज दिनांक 17.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल सैनी)